

21.5.16

का. ६५११५

पञ्चवली वोट वोट मालाला पर पेश। वादीया साफरी व पुत्री सुमिता के प्रतिवादी स०।  
 कालूनाथ उपारेमत । वादीया मे कतापाकी प्रतिवादी स०।  
 वही जाफन्दा पुत्री है उस के वारेमान व उत्तराधिकारी है। सरहद ग्राम मालाला आ. नं 1388, 1421, 1426 विला 3 रकबा 1 बिरवा 1 बिरवा 13 बिरवा व आराजी नम्बर 2514/2 रकबा 2 बीहा 83 बिरवा सुमि प्रति स 2 व नाम दर्ज है व ग्राम पंचमल मे आराजी नम्बर 4738/2480 रकबा 2 बीहा 15 बिरवा लखे।  
 के पिता प्रतिवादी स०। के नाम पर दर्ज है।

इस तरह उक्त विवादित भूमि वादीया एन प्रतिवादी स०। व 2 की पेटुव आराजियात है जिसमे जन्म से वादीया का हक आधिकार है अतः राजरव रेकार्ड मे वादीया का स्वातदार वारतवार धोखित वार हक हिस्सा सुमा वादीया के प्रति स० स० 1, 2 के स्थाप नाम अंकन करे।

प्रतिवादी स० 1. कालूनाथ ने उपारेमत होकर वादीया सुमिता के हक हिस्सा सुमा हिस्सा के के तयार है सुमिता वारीम नही है जाती तब तब इन् व। माता विवादित भूमि को वही नहीं सकेगी इस के लिए वादीया की माता की पाठ्य विद्या आवे।


राजरव रेकार्ड व वादीया प्रतिवादी स० की बहस

अ सुनी गई।

अलाउद्दौला दिया जाता है कि ग्राम  
मल्लोला के आराजी नम्बर 1388, 1421,  
1426 कुल रकबा 8 बीघा 13 किरवा व  
ग्राम पोंसला की आराजी नम्बर 4738/2488  
रकबा 02 बीघा 15 किरवा वादीपा को  
पतिलादी सहाय 2 के साथ रवालेदर कारत-  
कार होकर दिया जाता है हिस्सेदार  
वादीपा का नाम राजसुव रेण्डे में उल्लेख  
करे। वादीपा सुमेधा की माला अरसुव,  
आपरी पत्नी बालुनाथ को पाषण्ड दिया  
जाता है कि सुमेधा बालीग होने तथा  
सुमेधा को विधुम नही करे।

आज यह निर्णय के मध्य कोर्ट मालोला  
में सैर काम सुनाया गया।

पद्मावली देशला सुमार होकर  
नाम्बर में कम हो।

  
(उमोद सिंह रमावत)  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिवारी एवं  
पब्लिक सहायक कलेक्टर, सीकराड़ा